

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाने व
कि किसी अन्य पदप्रधिकारी के बाज से।
सम्बलित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिवांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



फोन : दूरभाष : (0751) 2341896
दूरभाष : (0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक-एफ/सम्बद्धता/2010/ 4622

दिनांक: ०१/०२/१२

// सूचना (सहमति पत्र) //

मध्यप्रदेश लोक विकास व्यास जी-02 रायल रेजीडेंटी सरस्वती नगर, सिल्वर स्टेट के पास विश्वविद्यालय मार्ग, ग्वालियर द्वारा प्रस्तावित आइडियोज नर्सिंग कॉलेज, ग्वालियर में सत्र 2012-13 से एम.एस-सी. (नर्सिंग) एवं फोरेट बेसिक बी.एस-सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु सहमति पत्र प्रदान किये जाने के प्रकरण पर विचार करने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा विभालिभित सदस्यों की समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
- (2) प्रो. एस.के. शुक्ला, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. सुखदा शर्मा, प्राचार्य, बी.आई.एम.आर. कॉलेज, ग्वालियर।

समिति से अनुरोध है कि वह उक्त पाठ्यक्रम हेतु मूलभूत सुविधायें संस्था के पास उपलब्ध हैं अथवा नहीं इसकी जानकारी संस्था से प्राप्त की जावे तथा प्रतिवेदन में उक्त जानकारी का विस्तृत हवाला दिया जाये। समिति का प्रतिवेदन 15 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
टिप्पणी :- समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ता एवं मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु;
2. मध्यप्रदेश लोक विकास व्यास जी-02 रायल रेजीडेंटी सरस्वती नगर, सिल्वर स्टेट के पास विश्वविद्यालय मार्ग, ग्वालियर (म.प्र.)

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उमस्त पर व्यवहार कुलसंचित जीवाजी विश्वविद्यालय के बाबत ही फिरा आवेदन कि किसी उच्च विधिक संसदीय नहीं है।
उमस्त विषय पर वही पूर्ण में यह व्यवहार कुछ भी नहीं पर उक्त उपलब्ध एवं विद्यालय का उपलब्ध हिस्सा जारी रखिया गया है।



प्राप्त : शुभोत्तमी
टेलीफ़ोन : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्ट : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसंचित,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रांतिकारी एफ.एम.डब्ल्यू.एफ./४९३१

दिनांक: २५/८/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने उमस्त आइडियाज जरिये कोलेज, ग्वालियर (0751-2378294) को सन् 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस.-सी. नर्सिंग प्रवेश वर्ष पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता देतु अनुशंसाएं प्रदान करने के लिये नावनीय कुलपति महोदय ल्लायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवर्तनम् 27(10) के अन्वर्गत विस्तारुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव जैन, अधिकारी महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442828)

(2) डॉ. रवि अंव, आचार्य, जी.आर.एम.सी., ग्वालियर।

(3) डॉ. योगेन्द्र पाताहिया, आचार्य, जी.आर.एम.सी., ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवर्तनम् 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर सुन्तु, घरेहर राशि, गांधिजी शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राप्तिकृत संस्था से प्राप्त अवृत्ति/अवापत्ति प्राप्तान्-पत्र, भवन, छीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडिनेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति भव प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की विवृतियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के कारे भी स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएं अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष दूधना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवान के अन्दर विरीक्षण समिति तंयोजक एवं सदस्यों द्वारा स्वापित कर विरीक्षण करायें। समिति तंयोजक द्वारा विरोध करें कि वे उक्त विधीनित उन्नव ने विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवान में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति नव्व का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण ने की गई देखी के लिए महाविद्यालय स्वर्वं उत्तरदायी होगा। विरक्षकी सूचना आगुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जायेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में विरीक्षण बही करता है तो समिति खत: विस्तर से जारी और पुनः विरीक्षण समिति नव्व देतु महाविद्यालय को दक्ष त्वरण रु. 25,000/- जमा करने होंगे। उत्प्रश्नात् ही विरीक्षण समिति का पुर्वगत फिरा जायेगा। परिवर्तनम् 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त लिए विना छब्बों को प्रवेश देवा अवैधाकित है।

विरीक्षण समिति के लाय उम्बद्धता शास्त्र में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रावधानी लेकर जारीने तथा महाविद्यालय की उम्बुरुक्षिति ते विरीक्षण समिति को अवगत करायें। विरीक्षण समिति के उपस्थितों के गी.ए., डी.ए., मास्टर्स महाविद्यालय द्वारा देव होगा।

3/11-53
कुलसंचित

प्रतिलिपि :-

1. उमस्त सदस्यों की ओर सूचकार्य एवं आवश्यक कार्यवाही देतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्वापित कर विरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करायें। उक्त विरीक्षण 15 दिवान के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आगुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसंचित के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसंचित (उम्बद्धता)